ए.

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. v.

एच. बी. कपाडिया एजुकेशन ट्रस्ट और ए. एन. आर. (2022 की सिविल अपील संख्या 2837)

बी.

21 फरवरी, 2023

[दिनेश माहेश्वरी और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधान-Art.30 (1)-शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार-प्रत्यर्थी नं.1- एक अल्पसंख्यक संस्थान सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल चला रहा था-प्रत्यर्थीगण नं। 2-प्रत्यर्थी को प्रत्यर्थी सं. 2 के मूलधन के वेतन के लिए सहायता प्रदान करने से इनकार करने वाले अपीलार्थीगण का निर्णय।2 अनुदान-सहायता संहिता के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, यदि मनमाना या Art.30 (1) का उल्लंघन करता है-आयोजितःअनुदान-सहायता संहिता के अनुसार, प्रत्यर्थीगण जैसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान 58 वर्ष या 60 वर्ष की आयु से अधिक के कर्मचारियों/शिक्षकों को जारी नहीं रख सकते थे, जैसा भी मामला हो-प्रत्यर्थी-संस्थान अनुदान-सहायता संहिता में निहित प्रावधानों से बाध्य था-इसलिए, यदि अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण को अनुदान-सहायता का भुगतान करने से इनकार कर दिया, तो प्राचार्य की सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रत्यर्थीगण के मामलों में हस्तक्षेप किया था या Art.30 (1) का उल्लंघन किया था-उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए गलती की कि प्रत्यर्थी-संस्थान को 60 वर्ष की आयु से अधिक अपने स्कूल के प्राचार्य को जारी रखने का अधिकार था-उच्च न्यायालय का आदेश

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** माध्यमिक शिक्षा विनियम **1974** के विनियम **42** के अनुसार**,** उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए उक्त विनियमों में निहित प्रावधान सरकारी अधिसूचना

दिनांक **1** के तहत प्रकाशित अनुदान-सहायता संहिता में निहित उन प्रावधानों पर प्रबल हैं, जहां तक वे उक्त विनियमों में प्रदान किए गए किसी भी मामले से संबंधित हैं।यह आगे सामने आता है कि उक्त विनियमों के विनियम **43** के अनुसार, सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित विनियम **36** अल्पसंख्यक द्वारा साबित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होता है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या ए

जी.

एच.

487

488 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

भाषा।इसलिए, विनियमन **36** में उल्लिखित पंजीकृत माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु अल्पसंख्यक द्वारा साबित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारी या शिक्षक पर लागू नहीं होगी।उक्त विनियमों के विनियम **42** और **43** के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विनियम **36** अल्पसंख्यकों द्वारा साबित और प्रशासित किसी भी शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा, और इसलिए अल्पसङ्ख्यकों द्वारा साबित और प्रशासित पंजीकृत माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित मामला, अनुदान-सहायता का लाभ उठाते हुए, उक्त विनियमों के तहत प्रदान किया गया नहीं कहा जा सकता है।आवश्यक परिणाम यह होगा कि उक्त विनियम **36** अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होने के कारण, सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित अनुदान-सहायता संहिता में निहित प्रावधान राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले ऐसे अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होंगे।**[पैरा 7] [493-सी-जी]**

बी.

सी.

डी.

1.2 अब, अनुदान-सहायता संहिता के पैरा **81.1** के अनुसार, अनुदान-सहायता प्राप्त करने वाला एक माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक सामान्य रूप से **58** वर्ष की आयु में सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा, और प्रबंधन उक्त संहिता के पैरा **8.2** को देखते हुए शिक्षकों को **60** वर्ष की आयु तक विस्तार प्रदान कर सकता है।इसलिए, प्रत्यर्थीगणओं जैसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान **58** वर्ष या **60** वर्ष की आयु से अधिक के कर्मचारियों/शिक्षकों को जारी नहीं रख सकते थे।यदि राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले किसी पंजीकृत अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधन द्वारा किसी कर्मचारी या शिक्षक को सेवा में जारी रखा जाता है, तो ऐसा विद्यालय **58** या **60** वर्ष की आयु से अधिक के ऐसे कर्मचारी या शिक्षक को

बनाए रखने के लिए किए गए खर्च के संबंध में कोई अनुदान प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।अनुदान-सहायता संहिता के प्रावधान उन सभी पंजीकृत माध्यमिक शिक्षा संस्थानों पर लागू होते हैं जो प्राप्त करने के इच्छुक हैं या जो सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसे संस्थान उक्त विनियमों में दिए गए मामलों को छोड़कर संहिता के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन होंगे।**[**पैरा **8] [493-**जी-एच**; 494-**ए-सी**]**

ई.

एफ.

जी.

1.3 मान्यता**,** पात्रता मानदंड**,** प्रक्रिया ए से संबंधित उक्त अनुदान**-**सहायता संहिता में निहित प्रावधान

एच.

489

गुजरात राज्य बनाम एच. बी. कपाडिया शिक्षा विश्वास ए

अनुदान आदि प्राप्त करने के लिए सरकार को आवेदन करने के लिए सभी माध्यमिक विद्यालयों पर लागू होते हैं, चाहे वे अल्पसंख्यकों द्वारा साबित और प्रशासित हों या नहीं और प्रत्यर्थीगण अनुदान-सहायता संहिता के प्रावधानों को अस्वीकार करने वाली सरकार से सहायता प्राप्त करने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे।यदि अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण को अनुदान देने से इनकार कर दिया था, तो प्रिंसिपल की सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर, यह किसी भी तरह से कल्पना से नहीं कहा जा सकता था कि अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण के मामलों में हस्तक्षेप किया था या संविधान के अनुच्छेद **30 (1)** का उल्लंघन किया था।प्रत्यर्थी-संस्थान अनुदान-सहायता संहिता में निहित प्रावधानों से बंधा था।अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता-राज्य ने प्रत्यर्थी संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव किया था कि यह एक अल्पसंख्यक के प्रबंधन के तहत था, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद **30 (2)** को आकर्षित करता है।इसलिए उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में घोर त्रुटि की थी कि प्रत्यर्थी-संस्थान को अपने स्कूल के प्राचार्य को **60** वर्ष की आयु से आगे बनाए रखने का अधिकार है, और अपीलार्थीगण को **2001** से **2012** की अवधि के लिए बकाया अनुदान के लिए आवश्यक राशि की गणना करने और भुगतान करने का निर्देश दिया था।**[**पैरा **9,11] [494-**डी-ई**; 496-**ए-बी**]**

बी.

सी.

डी.

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम। की स्थिति

ई.

कर्नाटक और अन्य (2002) 8 एससीसी 481:[2002] 3 पूरक।एस. सी. आर. 587- अनुसरण किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम। प्राचार्य अभय नंदन इंटर कॉलेज और अन्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन

एससी **807-**पर भरोसा किया।

एफ.

मामला कानून संदर्भ

2002 (3) पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 587** का अनुसरण किया गया

पैरा **9**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील No.2837।

जी.

2017 के एल. पी. ए. No.175 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 02.04.2018 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सुश्री देवयानी भाटी, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

पी. के. मनोहर, प्रत्यर्थीगणओं के लिए अधिवक्ता

एच.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्यायमूर्ति बेला एम**.** त्रिवेदी

1. अपीलार्थी-गुजरात राज्य और अन्य, 2001 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 3250 से उत्पन्न 2017 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 175 में गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 1 के निर्णय और आदेश से व्यथित होने के कारण, वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

2. प्रत्यर्थी संख्या 1 (मूल रिट याचिकाकर्ता) एक जैन अल्पसंख्यक संस्थान, "द न्यू हाई स्कूल" के नाम से एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल चला रहा था, जिसमें श्री एच. एच. कपाड़िया को स्कूल का प्राचार्य नियुक्त किया गया था।श्री कपाड़िया ने आई. डी. 1 पर 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और प्रत्यर्थी संख्या 1-संस्थान ने उन्हें प्राचार्य के रूप में जारी रखने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है।डी. ई. ओ. ने उन्हें इस शर्त पर 60 वर्ष की आयु तक प्राचार्य के रूप में बने रहने की अनुमति दी कि उनका वेतन संस्थान द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 ने डी. ई. ओ. को एक पत्र लिखा जिसमें श्री कपाड़िया की सेवा को 60 वर्ष की आयु से आगे बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसे डी. ई. ओ. ने दिनांकित पत्र के माध्यम से अस्वीकार कर दिया था।डी. ई. ओ. के उक्त दो फैसलों को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष सिविल आवेदन संख्या 3250/2001 के रूप में रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई।एकल पीठ ने दिनांक 1 के निर्णय और आदेश के माध्यम से उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और कहा कि अनुदान को रोकने में प्रत्यर्थीगण (इसमें अपीलार्थीगण) की ओर से की गई कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन है और रिट याचिकाकर्ता-संस्थान को श्री कपाड़िया को 60 वर्ष की आयु के बाद भी स्कूल के प्राचार्य के रूप में जारी रखने का अधिकार है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थीगण (इसमें अपीलार्थीगण) अपने वेतन के लिए अनुदान-सहायता का भुगतान करने के लिए बाध्य थे।एकल पीठ ने इसलिए अपीलकर्ता अधिकारियों को 2001 और 2012 के बीच की अवधि के लिए अनुदान की बकाया राशि की गणना करने (क्योंकि स्कूल अब वर्ष 2012 से काम नहीं कर रहा था) और आदेश के 3 महीने की अवधि के भीतर स्कूल के प्रबंधन को आवश्यक राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।पीड़ित अपीलार्थीगण ने डिवीजन बेंच के समक्ष 2017 की एल. पी. ए. संख्या 175 के रूप में एक अपील को प्राथमिकता दी थी, जिसे दिनांक 1 के विवादित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

3. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए छोटा सवाल यह है कि क्या अपीलार्थीगण का ए को सहायता प्रदान नहीं करने का निर्णय

एच.

491

गुजरात राज्य बनाम एच. बी. कपाडिया शिक्षा विश्वास [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

प्रत्यर्थी सं. के मूलधन के वेतन के प्रति प्रत्यर्थीगण। 2-अनुदान-सहायता संहिता के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर स्कूल को मनमाना या भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन करने वाला कहा जा सकता है?

4. भारत के संविधान, गुजरात माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, उसके तहत बनाए गए विनियमों और गुजरात अधिसूचना दिनांक 1 के तहत प्रकाशित अनुदान-सहायता संहिता में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के उद्देश्य से फायदेमंद होगा। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 30 का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः-

बी.

सी.

“30. शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार।–

(1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

डी.

(1 अ)----------

---

(2) राज्य, शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने में, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन में है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो।”

ई.

5. गुजरात माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1972 (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) को गुजरात राज्य में माध्यमिक शिक्षा के विनियमन का प्रावधान करने और उस उद्देश्य के लिए एक बोर्ड स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।उक्त

अधिनियम के तहत साबित बोर्ड ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम की धारा 53 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माध्यमिक शिक्षा विनियम 1974 (जिसे इसके बाद 'विनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) विनियम बनाए हैं। वर्तमान अपील पर निर्णय लेने के उद्देश्य से प्रासंगिक विनियम, निम्नानुसार हैं:- "36. अधिवर्षिता-(1) पंजीकृत माध्यमिक विद्यालय का कर्मचारी उस तारीख को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होगा जिस दिन वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा।

एफ.

जी.

(2) कोई भी प्रबंधन 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाले किसी भी व्यक्ति को नियुक्त या फिर से नियुक्त नहीं करेगा।

एच.

बशर्ते कि यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख एक कार्यकाल के भीतर आती है, तो उसकी सेवा स्वचालित रूप से उस कार्यकाल के अंत तक बढ़ा दी जाएगी।

बशर्ते कि यदि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो प्रबंधन द्वारा सामान्य रूप से चपरासी और ऐसे अन्य मामूली कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक का पुनर्नियुक्ति दिया जाना चाहिए।

बी.

37. गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति-जी. आर.

नहीं। ई एंड एल. डी. नं. SER/1074/36379-G दिनांकित 2-12-75।

38. 41 तक।- XXXX -

42. अनुदान-सहायता संहिता पर नियम प्रबल होंगे -

सी.

इन विनियमों के प्रावधान सरकारी अधिसूचना, शिक्षा और श्रम विभाग No.GAC-1064-सी दिनांक 22 अप्रैल, 1974 के तहत प्रकाशित अनुदान संहिता में निहित उन प्रावधानों पर प्रबल होंगे, जहां तक वे इन विनियमों में प्रदान किए गए किसी भी मामले से संबंधित हैं।

डी.

43. विनियम संख्या 41 के विनियम 19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,36,37,40 और उपखंड (4), (5) और (6) में निहित कुछ भी अल्पसंख्यक द्वारा साबित और प्रशासित किसी भी शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो।"

ई.

6. माध्यमिक विद्यालयों के लिए अनुदान-सहायता संहिता में निहित प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा, जिसे अधिसूचना दिनांक 22.04.1964 के माध्यम से प्रकाशित किया गया हैः-

" 81.1 माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक आम तौर पर 58 वर्ष की आयु में सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है।

एफ.

81.2.प्रबंधन शिक्षकों को 60 वर्ष की आयु तक विस्तार दे सकता है।यदि निरीक्षण अधिकारी अपने निरीक्षण के आधार पर रिपोर्ट करते हैं कि 58 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी शिक्षक अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करने में असमर्थ है, तो शिक्षक को चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा जाएगा और यदि अयोग्य घोषित किया जाता है तो वह सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर होगा।

जी.

81.3.और 81.4-XXX -

81.5 कोई भी व्यक्ति जो पहले ही 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, उसे शिक्षक या गैर-शिक्षण कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।सरकारी या गैर-सरकारी शिक्षा से सेवानिवृत्त व्यक्ति ए

एच.

हालाँकि, शैक्षणिक संस्थान द्वारा संस्थानों को फिर से नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों।ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्तियों का रोजगार उपरोक्त खंड 81.2 और 81.3 में किए गए प्रावधानों और ऐसे अन्य नियमों और शर्तों के अधीन होना चाहिए जो इन नियमों और सामान्य सेवा शर्तों का उल्लंघन नहीं करते हैं, जिन पर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है।हालांकि, ऐसे पुनर्नियुक्त

व्यक्ति विभागीय रूप से निर्धारित वेतन और भत्ते आदि के लिए और सरकारी सहायता प्राप्त भविष्य निधि योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।"

बी.

7. उपर्युक्त प्रावधानों से यह पता चलता है कि उक्त विनियमों के विनियम 42 के अनुसार, उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए उक्त विनियमों में निहित प्रावधान सरकारी अधिसूचना दिनांक 1 के तहत प्रकाशित अनुदान-सहायता संहिता में निहित उन प्रावधानों पर प्रबल होते हैं, जहां तक वे उक्त विनियमों में प्रदान किए गए किसी भी मामले से संबंधित हैं।यह आगे सामने आता है कि उक्त विनियमों के विनियम 43 के अनुसार, सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित विनियम 36 अल्पसंख्यक द्वारा साबित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होता है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो।इसलिए, विनियमन 36 में उल्लिखित पंजीकृत माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु अल्पसंख्यक द्वारा साबित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारी या शिक्षक पर लागू नहीं होगी।उक्त विनियमों के विनियम 42 और 43 के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विनियम 36 अल्पसंख्यकों द्वारा साबित और प्रशासित किसी भी शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा, और इसलिए अल्पसङ्ख्यकों द्वारा साबित और प्रशासित पंजीकृत माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित मामला, अनुदान-सहायता का लाभ उठाते हुए, उक्त विनियमों के तहत प्रदान किया गया नहीं कहा जा सकता है।आवश्यक परिणाम यह होगा कि उक्त विनियम 36 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होने के कारण, सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित अनुदान-सहायता संहिता में निहित प्रावधान राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले ऐसे अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होंगे।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

8. अब, अनुदान-सहायता संहिता के पैरा 81.1 के अनुसार, अनुदान-सहायता प्राप्त करने वाला एक माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक सामान्य रूप से 58 वर्ष की आयु में सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा, और प्रबंधन उक्त संहिता के पैरा 81.2 को देखते हुए शिक्षकों को 60 वर्ष की आयु तक विस्तार प्रदान कर सकता है।इसलिए, प्रत्यर्थीगणओं जैसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान कर सकते हैं

एच.

58 वर्ष या 60 वर्ष की आयु से अधिक के कर्मचारियों/शिक्षकों को काम पर नहीं रखा जाएगा।यदि राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले किसी पंजीकृत अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधन द्वारा किसी कर्मचारी या शिक्षक को सेवा में जारी रखा जाता है, तो ऐसा विद्यालय 58 या 60 वर्ष की आयु से अधिक के ऐसे कर्मचारी या शिक्षक को बनाए रखने के लिए किए गए खर्च के संबंध में कोई अनुदान प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।अनुदान-सहायता संहिता के प्रावधान उन सभी पंजीकृत माध्यमिक शिक्षा संस्थानों पर लागू होते हैं जो प्राप्त करने के इच्छुक हैं या जो सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसे संस्थान उक्त विनियमों में दिए गए मामलों को छोड़कर संहिता के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन होंगे।

बी.

सी.

9. मान्यता, पात्रता मानदंड, सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए सरकार को आवेदन करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित उक्त अनुदान-सहायता संहिता में निहित प्रावधान सभी माध्यमिक विद्यालयों पर लागू होते हैं, चाहे वे अल्पसंख्यकों द्वारा साबित और प्रशासित हों या नहीं और प्रत्यर्थीगण अनुदान-सहायता संहिता के प्रावधानों को नकारते हुए सरकार से सहायता प्राप्त करने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे।यदि अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण को अनुदान देने से इनकार कर दिया था, तो प्राचार्य की सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर, यह किसी भी तरह से कल्पना से नहीं कहा जा सकता था कि अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण के मामलों में हस्तक्षेप किया था या संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन किया था।जैसा कि संविधान में कहा गया है

डी.

ई.

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम के मामले में पीठ। की स्थिति

कर्नाटक और अन्य 1, अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार कानून के ऊपर एक पूर्ण अधिकार नहीं है, और यह कि शैक्षणिक संस्थानों को सहायता में अनुदान या गैर-अनुदान के प्रावधान, चाहे वह बहुमत द्वारा संचालित संस्थान हो या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित संस्थान, को समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।उक्त निर्णय के पैरा 143 और 144 में की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ, जो इस मुद्दे को पुष्ट करती हैं, निम्नानुसार हैं:-

एफ.

“143. इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार का तात्पर्य है कि राज्य द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान को दिए गए किसी भी अनुदान से ऐसी शर्तें जुड़ी नहीं हो सकती हैं, जो किसी भी तरह से अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के अधिकारों को कमजोर या कम कर देंगी।अनुदान प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर आम तौर पर लागू की जा सकने वाली शर्तें अनुदान के उचित उपयोग से संबंधित होनी चाहिए और

जी.

1 (2002) 8 एससीसी 481 ए

एच.

495

गुजरात राज्य बनाम एच. बी. कपाडिया शिक्षा विश्वास [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

अनुदान के उद्देश्यों की पूर्ति।इस प्रकार रखी गई कोई भी धर्मनिरपेक्ष शर्तें, जैसे कि धन के उपयोग के संबंध में उचित लेखा परीक्षा और धन का उपयोग करने का तरीका, लागू होगी और शैक्षणिक संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति को कम नहीं करेगी।इस तरह की शर्तें वैध होंगी यदि वे अनुदान प्राप्त करने वाले अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू की जाती हैं।”

बी.

“144. यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि अल्पसंख्यक संस्थान को सहायता देते समय कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है।चाहे वह बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित संस्थान हो, किसी भी शैक्षणिक संस्थान द्वारा सहायता अनुदान के उचित उपयोग के लिए प्रासंगिक सभी शर्तों को लागू किया जा सकता है।अनुच्छेद 30 (2) में केवल इतना कहा गया है कि इस आधार पर कि कोई संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन में है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो, उस शैक्षणिक संस्थान को सहायता देने के खिलाफ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अगर अन्य शैक्षणिक संस्थान सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं।शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान या गैर-अनुदान की शर्तों को समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, चाहे वह बहुमत द्वारा संचालित संस्थान हो या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित संस्थान।

सी.

डी.

10. सहायता प्राप्त करने वाला कोई अल्पसंख्यक संस्थान सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों से बंधा है या नहीं, इस समान मुद्दे से जुड़े मामले में, इस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में हाल ही में एक निर्णय में और

अन्य बनाम। प्राचार्य अभय नंदन इंटर कॉलेज और अन्य **2**

ई.

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः- “32. जब सहायता प्राप्त संस्थानों की बात आती है तो अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है।भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 अपने स्वयं के प्रतिबंधों के उचित होने के अधीन है।किसी संरक्षण को उस अधिकार से बेहतर अधिकार में विस्तारित नहीं किया जा सकता है जो एक गैर-अल्पसंख्यक संस्थान को प्राप्त है।इस मुद्दे पर कानून काफी हद तक तय हो गया है और इसलिए इसमें किसी विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

एफ.

33. इस प्रकार, उपरोक्त मुद्दे पर हमें इस सिद्धांत को दोहराने में कोई संकोच नहीं है कि सहायता प्राप्त करने वाली संस्था लगाई गई शर्तों से बंधी होती है और इसलिए उसका पालन करने की उम्मीद की जाती है।एक बार जब हम ऐसा करते हैं, तो विभिन्न आधारों पर दी गई चुनौती जमीन पर गिर जाती है।”11. पूर्व-वर्णित कानूनी स्थिति के आलोक में, हमारी राय है कि प्रतिवादी-संस्थान में निहित प्रावधानों से बाध्य था

जी.

2 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 807

एच.

अनुदान-सहायता संहिता।अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता-राज्य ने प्रत्यर्थी-संस्था के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव किया था कि यह एक अल्पसंख्यक के प्रबंधन के तहत था, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (2) को आकर्षित करता है। इसलिए उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में घोर त्रुटि की थी कि प्रत्यर्थी-संस्थान को अपने स्कूल के प्राचार्य को 60 वर्ष की आयु से आगे बनाए रखने का अधिकार था, और अपीलार्थीगण को 2001 से 2012 की अवधि के लिए अनुदान के बकाया के लिए आवश्यक राशि की गणना करने और भुगतान करने का निर्देश दिया था।

बी.

12. मामले के उस दृष्टिकोण में, प्रत्यर्थी संस्था द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति देने वाले एकल पीठ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने वाले खंड पीठ द्वारा पारित विवादित

आदेश को खारिज कर दिया जाता है।अपीलार्थीगण द्वारा दायर वर्तमान अपील तदनुसार स्वीकृत है।

सी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः भव्यता कपूर और शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.